<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क्र :- 385 / 15</u> संस्थापन दिनांक:--10 / 07 / 15 फाईलिंग नं. 233504000052015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्ध

सुरेंद्र पिता सुखराम पाल, उम्र 31 वर्ष, निवासी गणेश कॉलोनी आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 08.11.2017 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498(ए) भा0दं0सं0 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 11.05.2015 समय दोपहर 01:30 बजे स्थान किरण पाल के मकान ढीमर मोहल्ला आमला थाना आमला जिला बैतूल में अभियोक्त्रि से दहेज में मोटर सायकिल की मांग कर कूरता कारित की एवं अभियोक्त्रि से दहेज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक लाख रूपये की मांग की।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी का विवाह अभियुक्त से दिनांक 11.05.2011 को सामाजिक रीति रिवाज से हुआ था। शादी के बाद से ही उसका पित द्वारा उससे दहेज की मांग करने लगा तथा मांग पूरी न हो पाने पर उसके साथ मारपीट करना एवं तरह तरह से बुरा भला बोलकर खाने पीने में तरसाने लगा। उसके मां बाप ने उसे अपनी हैसियत के अनुसार दहेज दिया था फिर भी उसका पित उससे मोटर सायिकल एवं एक लाख रूपये की मांग करता था। उसके मां बाप एवं रिश्तेदारों ने अभियुक्त को समझाया और सुलह की कोशिश की परंतु उसका पित नहीं माना। फरियादी द्वारा दिये गये आवेदन के आधार पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 354/15 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी से विवाह पत्रिका एवं दहेज सूची जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गये। अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थिति बाबत सूचना पत्र जारी किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या अभियुक्त ने फरियादी किरण को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरता कारित की ?
- 2. क्या अभियुक्त ने फरियादी से दहेज में एक लाख रूपये और मोटर सायकिल की मांग की ?
- 3. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 02 का निराकरण

- 5 उपर्युक्त दोनों विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने से साक्ष्य दोहराव से बचने की दृष्टि से दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 6 किरण (अ.सा.—1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसका विवाह अभियुक्त सुरेंद्र के साथ 11 मई 2011 को हुआ था। शादी के दो—तीन महिने के बाद से ही उसका पित सुरेंद्र दहेज की मांग को लेकर परेशान करने लगा। अभियुक्त सुरेंद्र एक लाख रूपये और मोटर सायिकल की मांग करता था और इसी मांग को लेकर प्रतिदिन उसके साथ मारपीट करता था। उसका अभियुक्त सुरेंद्र के साथ दो—तीन बार परामर्श केंद्र से राजीनामा हुआ था परंतु अभियुक्त के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसने घटना की लिखित शिकायत थाना आमला में की थी जिस पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गयी थी। लता पाल (अ.सा.—4) एवं रघुनाथ पाल (अ.सा.—3) ने मुख्य परीक्षण में बताया है कि फरियादी किरण उनकी पुत्री है, अभियुक्त सुरेंद्र उनका दामाद है। अभियुक्त प्रायवेट कंपनी में इंदौर में नौकरी करता था और आमला आना जाना करता था परंतु उसकी बेटी आमला में अपने ससुराल में ही रहती थी। अभियुक्त उसकी बेटी को शादी की पहली ही रात से परेशान कर मारपीट करता था और मोटर सायिकल तथा एक लाख रूपये की मांग करता था।

- 7 रमेश पाल (अ.सा.—5) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि फरियादी किरण उसके साडू भाई की लड़की है। अभियुक्त सुरेंद्र शादी के पहले दिन से ही किरण से झगड़ा करता था, मारपीट करता था, उसके समक्ष अभियुक्त ने दहेज में मोटर सायकिल मांगा था। रविशंकर (अ.सा.—6) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि फरियादी किरण उसकी भांजी है। अभियुक्त किरण से लड़ाई झगड़ा करता था और अभियुक्त सुरेंद्र ने किरण के मायके बैतूल में आकर एक लाख रूपये और 80—90 हजार वाली मोटर सायकिल की मांग की थी। राहुल (अ. सा.—2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि फरियादी उसकी बहन है। पुलिस ने उससे उसकी बहन की शादी का कार्ड और दहेज की सूची जप्त की थी। जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी—3) है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- 8 ओमप्रकाश यादव (अ.सा.—7) ने प्रकट किया है कि दिनांक 29.06. 2015 को थाना आमला में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए फरियादी किरण द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध लिखित आवेदन पेश करने पर उसने अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क. 354/15 धारा 498—ए भा.दं.सं. में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी—2) लेखबद्ध किया था तथा दिनांक 30.06.2015 को प्रार्थिया किरण के पेश करने पर शादी की पत्रिका एवं दहेज सूची जप्त कर (प्रदर्श पी—3) का जप्ती पत्रक तैयार किया था। साक्षी ने उक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।
- 9 किरण बाई (अ.सा.—1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसे अपने पित से इस बात की शिकायत है कि वह उसकी बात नहीं मानता है। शादी के बाद अधिकतम समय वह अपने ससुराल में रही। शादी के समय जो सामान दिया गया था वह माता—पिता ने खुशी से दिया था। अभियुक्त ने शादी के पहले और शादी के दिन दहेज की कोई मांग नहीं की थी और न ही शादी के पहले एक लाख रूपये और मोटर सायिकल की मांग की थी। स्वतः कहा कि शादी के बाद मांग की थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 7 में इस सुझाव को सही बताया है कि शादी तीन साल तक थाने में कभी कोई शिकायत नहीं की। न ही अपने समाज या पंचायत में किसी को बताया। माता पिता और परिवार की यह कोशिश थी की वह ससुराल में रहे। विवाह के बाद से उसने कभी मारपीट के संबंध में कोई चिकित्सकीय परीक्षण नहीं कराया। इस सुझाव को सही बताया है कि अभियुक्त सुरेंद्र ने किस तारीख को एक लाख रूपये और मोटर सायिकल की मांग की वह नहीं बता सकती। स्वतः कहा कि अगस्त के माह में मांग की थी। साक्षी ने यह बताया है कि उसने एमए समाजशास्त्र से पढ़ाई की है। उसके घर के पास ही थाना था। उसने कभी भी अपने पित की शिकायत थाने में नहीं की।
- 10 रघुनाथ पाल (अ.सा.—3) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि शादी के पहले अभियुक्त के द्वारा मोटर सायकिल और एक लाख रूपये की मांग नहीं

की गयी थी। उसने शादी के बाद लड़ाई झगड़े और दहेज मांगने की कोई रिपोर्ट पुलिस में नहीं की थी। उसका दामाद सुरेंद्र इंदौर में काम करता था। महिने में कभी कभी आया करता था। उसके द्वारा अपने दामाद के व्यवहार के बारे में चार साल तक कोई शिकायत नहीं की गयी। इस सुझाव को गलत बताया है कि शादी के चार साल के अंदर अभियुक्त ने दहेज की कोई मांग नहीं की। स्वतः कहा कि शादी के तीन चार माह बाद ही दहेज की मांग की थी। साक्षी ने यह भी सही होना बताया है कि अभियुक्त ने उसके समक्ष मोटर सायिकल और दहेज की मांग किस तारीख और किस वर्ष में की वह नहीं बता सकता है।

न शादी के पहले दहेज और मोटर सायिकल की मांग नहीं की थी और वह दिन और तारीख, वर्ष भी नहीं बता सकती कि अभियुक्त ने कब मांग की थी। रमेश पाल (अ.सा.—5) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त सुरेंद्र ने उसके समक्ष कभी भी दहेज की मांग नहीं की। स्वतः में कहा कि मेरे सामने दहेज की मांग की थी। साक्षी ने यह बताया है कि वह केहलपुर में रहता है। अभियुक्त ने केहलपुर में आकर कभी दहेज की मांग नहीं की। किरण ने उसे यह बताया था कि अभियुक्त सुहागरात के दिन ही दहेज की मांग किया था और शादी के तीन महिने के बाद दहेज की मांग के संबंध में बताया था। रविशंकर (अ.सा.—6) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसे उसकी भांजी किरण ने अभियुक्त सुरेंद्र के द्वारा दहेज मांगने के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। अभियुक्त ने, उसके माता पिता ने मेरे समक्ष दहेज की मांग की थी। फरियादी किरण और सुरेंद्र के बीच दहेज की मांग को लेकर आये दिन विवाद होते रहता था।

12 फरियादी किरण (अ.सा.—1) ने यह बताया है कि उसने विवाह के तीन वर्ष तक अभियुक्त की मारपीट के संबंध में या दहेज की मांग के संबंध में कभी कोई रिपोर्ट नहीं की। फरियादी ने यह भी बताया है कि अभियुक्त सुरेंद्र उसके साथ प्रतिदिन मारपीट करता था परंतु स्वयं फरियादी के पिता रघुनाथ पाल और लता पाल ने यह बताया है कि अभियुक्त प्रायवेट कंपनी में इंदौर में नौकरी करता था और महिने में कभी कभी आया करता था। तब ऐसी स्थिति में फरियादी का यह कथन कि अभियुक्त उसके साथ प्रतिदिन मारपीट करता था, स्वतः खंडित हो जाता है। साथ ही अभियोजन की ओर से ऐसे भी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं कि फरियादी के साथ मारपीट की कोई शिकायत करायी गयी हो या चोट का ईलाज कराया गया हो। फरियादी एवं उसके माता—पिता तथा अन्य अभियोजन साक्षियों ने यह बताया है कि शादी के समय उन्होंने राजीखुशी सामान दिया था। अभियुक्त या उसके परिवार की ओर से कोई मांग नहीं की गयी थी। स्वयं फरियादी ने यह सही होना बताया है कि शादी के बाद वह अधिकतम समय तक अपने ससुराल में रही। उसके घर के पास में ही थाना था। वह एमए पास महिला है। किसी भी साक्षी ने यह नहीं बताया है कि अभियुक्त के द्वारा किस

दिन, किस समय, किस दिनांक, किस वर्ष और कहां पर दहेज संबंधी मांग की गयी। प्रकरण में फरियादी किरण के अतिरिक्त अन्य अभियोजन साक्षी राहुल, रध नाथ, लता, रमेश, रविशंकर के समक्ष मारपीट जैसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। घटना की जानकारी उन्हें फरियादी के बताये अनुसार है। फरियादी किरणबाई (अ.सा.—1) के द्वारा न तो यह बताया गया है कि अभियुक्त ने किस दिन उससे दहेज की मांग की। न ही अभियुक्त के द्वारा मारपीट किये जाने पर शादी के तीन वर्ष तक कहीं पर कोई भी शिकायत न की जाना, कोई भी चिकित्सकीय परीक्षण न कराया जाना बताया गया है। ऐसी स्थिति में फरियादी के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त सुरेंद्र ने उससे दहेज की मांग की और दहेज की मांग की पूर्ति न होने पर उसे शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।

विचारणीय प्रश्न क. 03 का निराकरण

- 13 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 11.05. 2015 समय दोपहर 01:30 बजे स्थान किरण पाल के मकान ढीमर मोहल्ला आमला थाना आमला जिला बैतूल में अभियोक्त्रि से दहेज में मोटर सायिकल की मांग कर कूरता कारित की एवं अभियोक्त्रि से दहेज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक लाख रूपये की मांग की। फलतः अभियुक्त सुरेद्रं को 498(ए) भाठदंठसंठ एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 14 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 15 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)